कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

आदेश

होशंगाबाद, दिनांक 08.06.2020

क्रमांक 140 / तीन–3–2 / 96

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी / 660 / तीन–17–79 / 18 जबलपुर, दिनांक 19.02.2020 के साथ मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के प्राप्त अभिमत क्रमांक 309 / 2020 / 21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 27.01.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10 मई, 1984 के अध्याधीन विभागीय प्रशासनिक समिति के प्रतिवेदन दिनांक 005.06.2020 का अनुमोदन करते हुए इस स्थापना पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से कलेक्टर द्वारा घोषित दर पर वेतन / मजदूरी पाने वाले पूर्व से नियमानुसार नियुक्त होकर कार्यरत कर्मचारीगण के वरिष्ठता क्रम में कार्य, व्यवहार, आचरण के प्रतिवेदनों पर विचार कर निम्नानुसार प्रभावशीलता दिनांक से नियमितीकरण कर भृत्य के रिक्त पदों पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर आदेश में निहित सेवा की सामान्य शर्तों पर पूर्णतः अस्थाई व स्थानापन्न रूप से नियुक्त किये जाते हैं :–

क.	नाम	आकस्मिकता निधि प्रभारित पद पर प्रथम उपस्थिति दिनांक	नियमितीकरण पर नियुक्ति का पदनाम एवं नियुक्ति का प्रकार	नियुक्ति पद का वेतनमान एवं न्यूनतम वेतनमान	नियुक्ति पद पर उपस्थित होने के लिए आदेश प्रभावशीलता का दिनांक
1	श्री वैभव समाधिया	07.02.2017	भृत्य के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति	लेवल–1 मैट्रिक्स ₹15500–49000 / – में न्यूनतम मूलवेतन ₹ 15500 एवं अन्य भत्ते प्रतिमाह की दर पर	आदेश दिनांक से
2	श्री हलीम खान	26.09.2017	भृत्य के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति	लेवल–1 मैट्रिक्स ₹15500–49000 / – में न्यूनतम मूलवेतन ₹ 15500 एवं अन्य भत्ते प्रतिमाह की दर पर	आदेश दिनांक 26.09.2020 से प्रभावशील होने के पश्चात् उपस्थिति दिनांक से

सेवा की सामान्य शर्तें:–

1– उक्त नियमित पद पर आपकी अस्थाई नियुक्ति के फलस्वरूप जिला चिकित्सा बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आरोग्यता प्रमाण पत्र, आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

2— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6(6) के प्रावधान अनुसर एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि, दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात पृथव प्रसव से जन्मी कोई भी ऐसी संतान जिसके सहित आपके दो अथवा दो से अधिक संताने नही होना चाहिये, अन्यथा आप शासकीय सेवा योग्य नहीं माने जावेंगे।

3— आपको शासकीय सेवा में नियमित पद पर अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्ति के फलस्वरूप चरित्र सत्यापन के संलग्न निर्धारित प्रारूप पद पर उपस्थिति दिनांक को ही दो प्रतियों मे पूर्ति कर इस आशय के शपथ पत्र के साथ कि, आपके विरूद्ध किसी भी आरक्षी केन्द्र पर आपराधिक अनुसंधान अपेक्षित नही है एवं किसी भी न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित नही है तथा किसी भी दण्ड न्यायालय से निराकृत आपराधिक प्रकरण मे आपको दण्ड नही दिया गया है।

4— मध्यप्रदेश मूलभूत नियम के सेवा की सामान्य शर्तो में एफ.आर. 11 के अनुसार शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है और बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के आपकी सेवाऐं किसी भी समय किसी भी प्रकार से ली जा सकती है।

5— उपरोक्त नियमित पद पर अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्ति पर उपस्थिति पूर्व आपको समस्त मूल शैक्षणिक एवं आर्हयकारी प्रमाण पत्र उनकी सत्यापित व प्रमाणित छायाप्रति के साथ सेवापुस्तिका व पी.पी.एफ. बुक मय संलग्न करने के लिये लेखापाल कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद के समक्ष मिलान कराकर जिला रजिस्ट्रार, सिविल न्यायालय होशंगाबाद से सत्यापन उपरांत ही नवीन पदभार ग्रहण करेंगे।

6— आपके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं आर्हकारी प्रमाण पत्रों की नियमानुसार संबंधित संस्था से प्रमाणिकरण कराये जाने पर असत्य पाने स्थिति मे आपकी सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी, एवं आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही तथा अभियोजन का मामला दर्ज किया जावेगा।

7 बिना अनुमति के शैक्षणिक योग्यता वृद्धि हेतु आवेदन नहीं करेंगे।

8. इस स्थापना पर सेवारत रहते हुये अन्य किसी शासकीय/अशासकीय/एवं अर्द्धशासकीय संस्था/विभागों मे किसी पद के नियोजनार्थ बिना पूर्व अनुमति तथा भारमुक्त करने की अनापत्तिप्रमाण पत्र के आप आवेदन नही करेंगे।

9. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई एवं अर्द्धस्थाई) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार अभ्यार्थी की सवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन भत्त देकर समाप्त की जा सकती है, अथवा यदि आप सेवा से त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी, अथवा एक माह के सकल वेतन, भत्तो के समतुल्य राशि का चालान कोषालयीन बैंक में शासन हित मे जमा कराकर त्यागपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. आप पर मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की स्थापनाओ के स्टॉफ की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 2016 व पुनरीक्षित नियम 2019 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान लागू होंगे।

11. कर्मचारी आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अथवा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(चन्देश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

पृ.क्र. 609 / तीन–3–2/96 होशंगाबाद, दिनांक 08.06.2020

आदेशानुसार प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– श्री वैभव समाधिया, आकस्मिकता निधि से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक से 15 दिवस में नियुक्ति पद पर उपस्थित होने का प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग होशंगाबाद के माध्यम से प्रस्तुत करें।

4– श्री हलीम खान, आकस्मिकता निधि से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजकर आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आपके आदेश की प्रभावशीलता दिनांक 26.09.2017 को अथवा उसके पश्चात् 15 दिवस में नियुक्ति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, होशंगाबाद के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

6– सिस्टम ऑफिसर, होशंगाबाद की ओर उक्त आदेश ई–मेल पर भेजे जाने हेतु प्रेषित।

7– लेखापाल कार्यालय अनुभाग, होशंगाबाद की ओर प्रेषित करते हुये लेख है कि नियमित कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन निर्धारण कर सेवापुस्तिका में प्रविष्टि करें।

8– सहायक लेखापाल / देयक लिपिक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/06/20

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद